## राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम— 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण जानकारी।

## देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-

- अन्त्योदय अन्य योजना 20 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- पात्र गृहस्थी योजना 03 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 02 कि०ग्रा० चावल कुल 05 कि०ग्रा० प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति यूनिट।
- उपरोक्त दोनो योजनाओं पर गेहूँ रु0—02 प्रति कि0ग्रा0 तथा चावल रु0—03 कि0ग्रा0 की दर से देय।

## खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-

- कार्ड धारक विभागीय टोल फी नम्बर 1800-1800-150 अथवा
  1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।







## खाद्य तथा रसद विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

जनपद : लखनऊ

राशन कार्ड क्रमांक : 215740402068

टाउन : LUCKNOW (M CORP.)

मुखिया का नाम : सफीकुन निशा पिता / पित का नाम : राज मोहम्मद

ापता / पात का नाम ः **राज** श्रेणी/जाति :

निवास का पता

: RASOOLPUR TIKANIAMAU, GOSAINGANJ

Lucknow(M Corp)- 227125

आधार /इनरोलमेंट न० : XXXX XXXX

गैस ग्राहक कनेक्शन सं०:

गैस एजेंसी का नाम :

उचित दर दुकान : Khatiza Begam

यूनिटों का विवरण : 5 (Five)

दिनांक: 22-05-2024

Digitally Signed By

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -२० के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड

IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP.

Print at

परिवार की सदस्यों की सूची			
क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम (हिंदी में)	मुखिया से सम्बन्ध
1	सफीकुन निशा	राज मोहम्मद	स्वयं
2	राज मोहम्मद	अलीरजा	सौहर / पति
3	जान मोहम्मद	राज मोहम्मद	वेटा
4	वैस मोहम्मद	राज मोहम्मद	वेटा
5	शाहमीन	राज मोहम्मद	वेटी